न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 105/2025(GCMS 2025/416)
(RTI No. 212474338491566)

श्री भूपराम मण्डा, पूर्व सरपंच गांव 2 डीओएल, पो.ऑ. 4 केपी डी, तहसील रावला, जिला श्रीगंगानगर(मोबाईल नम्बर 76657–98219)

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), रावला

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.01.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री भूपराम मण्डा स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.08.2025 से तहत तहसीलदार, रावला, जिला श्रीगंगानगर से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार समय पर सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण, अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील पेश कर, लोक सूचना अधिकारी /सहायक लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि श्री भूपराम मण्डा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.08.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न दोः बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. श्री रामस्वरूप मीणा जो कि एक लोक सेवक है कि अचल सम्पति कहाँ–कहाँ है, कितनी–कितनी है, जब नौकरी लगा उससे पूर्व कितनी थी, वर्तमान में कितनी है। स्वयं एवं पत्नी एवं बच्चों के नाम अगर है तो भी बतावें, चूंकि आप लोकसेवक है।
2. चल सम्पत्ति में आपके परिवार के पास क्या–क्या है, कितना कितना है, सम्पूर्ण जानकारी चाहिए। विशेष ये आपको अचल सम्पत्ति कितनी विरास्त में मिली, कितनी आपने नौकरी लगने के बाद खरीद की है। स्वयं या पत्नी एवं परिवार के नाम से पूरा ब्यौरा अंकित करें

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रावला ने अपने पत्र क्रमांक सू.का.अ./2025/95 दिनांक 08.12.2025 अपील को जवाब प्रेषित किया है कि उनके द्वारा अपने पत्र क्रमांक विविध/सू.का.अ./2025/78 दिनांक 24.09.2025 को अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 105 / 2025
(GCMS No. 2025/416)
(RTI No. :212474338491566)

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना चाही गई है निम्नानुसार प्रेषित है:

क्र. सं.	चाही गयी सूचना का विवरण	सूचना का विवरण
1	श्री रामस्वरूप मीणा जो कि एक लोक सेवक है कि अचल सम्पति कहाँ–कहाँ है, कितनी–कितनी है, जब नौकरी लगा उससे पूर्व कितनी थी, वर्तमान में कितनी है। स्वयं एवं पत्नी एवं बच्चां के नाम अगर है तो भी बतावें, चूंकि आप लोकसेवक है।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से संबंधित नही होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई सूचना बना सकते है और ना ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप मे लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेशधनिर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है। उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (जे) के अनुसार सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है। अ[illegible] सूचना देने योग्य नही है।
2	चल सम्पत्ति में आपके परिवार के पास क्या–क्या है, कितना कितना है, सम्पूर्ण जानकारी चाहिए। विशेष ये आपको अचल सम्पत्ति कितनी विरास्त में मिली, कितनी आपने नौकरी लगने के बाद खरीद की है। स्वयं या पत्नी एवं परिवार के नाम से पूरा ब्यौरा अंकित करें।	

अतः श्रीमान प्रमुख शासन सचिव म[illegible]सनिक सुधार विभाग, सूचना का अधिकार [illegible] में सूचना का अधिकार अधिनियम की [illegible] 8(1)(जे) [illegible] योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:36 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 105 / 2025
(GCMS No. 2025/416)
(RTI No. :212474338491566)

सहायक लोक **सूचना अधिकारी** एवं तहसीलदार (राजस्व), रावला ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, अपीलार्थी ने तीसरे पक्ष, प्रश्नात्मक एवं उसकी चल / अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है, जो किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी एवं वित्तीय जानकारी से सम्बन्धित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) निम्नानुसार अवलोकनीय हैः

> 8(1)(j) : सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्योयोचित है।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना किसी भी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता से संबंधित है, जो सार्वजनिक प्राधिकरणों को ऐसी जानकारी जारी करने से रोकती है, जिससे किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन होता है और जिसका सार्वजनिक हित से कोई संबंध नहीं है।

विचाराधीन प्रकरण में अपीलांट ने सूचना मांगने में वास्तविक जनहित का आधार नहीं बनाया है। ऐसी सूचना का खुलासा करने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत निजता का उल्लंघन होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपील संख्या 27734 / 2012 अनवानी गिरीश रामचन्द्र बनाम केन्द्रीय सूचना आयुक्त वगै. में पारित निर्णय मे ऐसा ही मत दिया है। चूंकि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना में कोई व्यापक जनहित नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रावला** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.01.2026 को मेरे द्वा[illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:36 IST
Reason: SelfAttested

(मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर